आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (छ.ग.)

संस्थान द्वारा संपादित किये गये कार्यों का

प्रतिवेदन

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ क्र.
	परिचय	01–02
1.	संस्थान द्वारा संपादित नृजातीय अध्ययन	03–24
2.	संस्थान द्वारा संपादन उपरांत भारत सरकार को प्रेषित मूल्यांकन कार्य	25–27
3.	संस्थान द्वारा संपादित सर्वेक्षण कार्य	28–29
4.	संस्थान द्वारा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम	30–31
5.	संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी सह–कार्यशाला	32–33
6.	संस्थान द्वारा आयोजित आदिवासी महोत्सव	34
7.	संस्थान द्वारा आयोजित एक्सचेंज आफ विजिट कार्यक्रम	35
8.	प्रकाशन	36
9.	संग्रहालय	37
10.	संस्थान में जाति प्रमाण–पत्रों का सत्यापन एवं जांच	38–39
11.	आदिमजाति अनुसंधान संस्थान में स्वीकृत एवं भरे गये पदों की जानकारी	40–44

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

(केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत दिनांक 02.09.2004 को प्रारंभ)

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रीति–रिवाज, रहन–सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15 वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना **02.09.2004** को राज्य में की गई।

संस्थान के प्रमुख कार्य :–

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :–

1 अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।

2 अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।

3 अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।

4 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल होने के लिये राज्य शासन को विभिन्न जातियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में उक्त जातियों का इथनोलाजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना कि संबंधित जाति में जनजातीय लक्षण पायी जाती है अथवा नहीं।

5 अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किये जाने संबंधी प्रकरणों पर राज्य शासन को अभिमत देना।

6 अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।

7 आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

1. संस्थान द्वारा संपादित नृजातीय अध्ययन

संस्थान द्वारा आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के गठन पश्चात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने संबंधी अभ्यावेदनों के तारतम्य में वर्ष 2012–13 तक निम्नांकित अनुसंधान कार्य कर प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया गया –

1.1अनुसूचित जनजाति संबंधी

अ. भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अमान्य नृजातीय अध्ययन के प्रस्ताव

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
1	**पारधी** (यह जाति राज्य के विभिन्न जिलों यथा राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव, कवर्धा जिले के कवर्धा, बोड़ला, भाटापारा, रायपुर जिले के धरसीवा, जांजगीर–चांपा जिले के आदि में निवासरत है)	छ.ग. राज्य मे अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 36 पर क्षेत्रीय बंधन समाप्त करने बाबत्। वर्तमान में पारधी जाति बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा और कोरिया जिले में,	संस्थान द्वारा उक्त जाति का ततसंबंध में नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2008 को उक्त जाति हेतु लागू राज्य में क्षेत्रीय बंधन समाप्त किये जाने का अभिमत राज्य शासन को प्रेषित किया।	भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 29.02.2012 के माध्यम से उक्त प्रस्ताव को आर.जी.आई के अभिमत अनुसार अमान्य कर दिया गया।

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
		कोरबा जिले की कटघोरा, पाली, करतला एवं कोरबा तहसील, बिलासपुर जिले की बिलासपुर, पेण्ड्री, कोटा और तखतपुर तहसील, दुर्ग जिले की दुर्ग, पाटन, गुण्डरदेही, धमधा, बालोद, गुरूर और डौण्डीलोहारा तहसील राजनांदगांव जिले के चौकी, मानपुर, मोहला राजस्व निरीक्षक सर्किल में, महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली, बसना तसहील, रायपुर जिले की बिन्द्रानवागढ़, राजिम और देवभोग तहसील, धमतरी जिले के धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील में क्षेत्रीय बंधन के तहत पारधी जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य है।		

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
2	**केंवट, ढीमर, कहार, मल्लाह**	अनुसूचित जनजाति हेतु मांग।	संस्थान द्वारा उक्त जाति का नृजातीय प्रतिवेदन दिनांक 16.04.2007 को राज्य शासन को प्रेषित किया । भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 04.08.2009 के माध्यम से उक्त प्रस्ताव पर औचित्य चाहा गया। जिस पर संस्थान द्वारा उक्त जाति में जनजाति लक्षण नहीं पाये जाने के कारण अन्य राज्यों की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में यथावत रखे जाने अभिमत राज्य शासन को दिनांक 17.08.2010 को भारत सरकार को प्रेषित किये जाने प्रस्तुत किया।	भारत सरकार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा केंवट, ढीमर, कहार एवं मल्लाह को छ.ग. की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने योग्य नहीं माना।

ब. भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मान्य किये गये राज्य शासन के नृजातीय प्रस्ताव

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
1	**खड़िया** (यह जाति मुख्यतः जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर जिलों में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 22 पर शामिल करने बाबत्। उक्त अनुक्रमांक पर राज्य की सूची में खरिया शामिल है।	संस्थान द्वारा उक्त जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन मय प्रस्ताव दिनांक 31.03.2008 को राज्य शासन को प्रेषित किया गया।	भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.08.2010 को प्रकाशित भारत का राजपत्र में छ.ग. की अनुसूचित जनजाति की सूची में **अनुक्रमांक 22 पर शामिल खरिया को खड़िया पढ़े जाने संबंधी** निर्देश प्रकाशित कराया गया।

स. भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय स्तर पर राज्य शासन द्वारा प्रेषित विचाराधीन प्रस्ताव

क्र	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
1	**संवरा, सौरा, सउरा, सओरा, सहरा** (यह जाति मुख्य रूप से महासमुंद, रायगढ़, जांजगीर, बस्तर, जशपुर, बिलासपुर आदि जिलों तथा उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती भागों में निवासरत है)	छ.ग. की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 41 पर सवर, सवरा के साथ शामिल करने बाबत्।	संस्थान द्वारा उक्त जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन व उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने सबंधी अभिमत मय प्रस्ताव दिनांक 21.04.2008 को राज्य शासन को प्रेषित किया गया। राज्य शासन द्वारा दिनांक 11.01.2010 को पुनः तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने पत्र भारत सरकार को प्रेषित	भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 29.09.2008 के माध्यम से ततसंबंध में अतिरिक्त जानकारी चाही गयी थी। जिसे भेजे जाने संस्थान द्वारा दिनांक 13.10.2008 को राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को दिनांक 29.06.2010 को अमान्य किया गया। प्रकरण वर्तमान में भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

क्र	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
			किया। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव अमान्य किये जाने के पश्चात राज्य शासन के पत्र के तारतम्य में समाज द्वारा उल्लेखित संदर्भ सामग्रियों का अवलोकन पश्चात पुनः राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में उक्त जाति को शामिल किये जाने संबंधी अभिमत भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को दिनांक 14.06.2012 एवं 27.08.2013 को प्रेषित किया गया।	

क्र	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
2	**पठारी** (यह जाति मुख्य रूप से बिलासपुर, कबीरधाम, कांकेर, बस्तर आदि जिलों में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 35 पर शामिल करने बाबत्।	संस्थान द्वारा उक्त जाति का अध्ययन कर पठारी जाति को छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 35 पर शामिल किये जाने हेतु अभिमत मय प्रस्ताव राज्य शासन को दिनांक 07.01.2010 को प्रेषित किया गया।	भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक जनवरी 2014 के माध्यम से उक्त जाति के संबंध में अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में जानकारी तैयार कर शीघ्र भेजा जाना है।
3	**भुईयां, भुईया, भूयॉ, भूय्या, भिंया** (यह जाति मुख्य रूप से जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा जिले में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 5 पर शामिल करने बाबत्।	संस्थान द्वारा नृजातीय प्रतिवेदन पूर्ण कर उक्त जाति को छ.ग. की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 05 पर शामिल किये जाने संबंधी अभिमत मय प्रस्ताव दिनांक	भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 25.05.2013 के माध्यम से लेख किया कि आर. जी. आई. भूईयां, भुईया, भूयॉ के प्रस्ताव से सहमत है किन्तु भूय्या एवं भियां के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं क्योंकि उक्त जाति नाम से इथनोग्राफिक साक्ष्य न मिलने के कारण आधार नहीं है अतः औचित्य चाहा गया। तत्संबंध में संस्थान द्वारा दिनांक

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
			01.02.2010 राज्य शासन को प्रेषित किया गया।	14.08.2013 को अभिमत मय टीप राज्य शासन को उपलब्ध कराई गई। प्रकरण वर्तमान में भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।
4	**नगारची** (यह जाति मुख्य रूप से राज्य के धमतरी, रायपुर, दुर्ग, बालोद आदि जिलों में निवासरत है।)	अनुसूचित जनजाति दावा संबंधी अध्ययन। राज्य में निवासरत गाड़ा जाति की उपजाति मंगिया जो नगारची कहलाती है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल गोंड़ नगारची का जाति प्रमाण–पत्र लेने का प्रयास करती है।	संस्थान द्वारा तत्संबंध में नृजातीय प्रतिवेदन राज्य शासन को दिनांक 05.09.2011 को प्रस्तुत किया जिसमें पाया गया कि सर्वेक्षित नगारची जाति गाड़ा की उपजाति है तथा उन्हें अनुसूचित जनजाति की पात्रता नहीं आती है।	–
5	**बिंझिया** (यह जाति मुख्य रूप से अंबिकापुर, कोरबा, कोरिया, बलौदाबाजार, सरगुजा जिलों में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 11 पर बिंझवार के साथ शामिल करने बाबत्।	संस्थान द्वारा नृजातीय प्रतिवेदन राज्य शासन को दिनांक 17.01.2011 को प्रस्तुत किया गया जिसमें बिंझिया जाति को छ.ग. राज्य की अनुसूचित	भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.05.2013 को बिंझिया जाति के संबंध में विस्तृत मय अभिमत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दिये जाने पुनः चाहा गया था। संस्थान द्वारा उक्त तारतम्य में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव मय अभिमत दिनांक 27.07.2013 को राज्य शासन को

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
			जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 11 पर बिंझवार के साथ शामिल करने संबंधी अभिमत दिया गया।	प्रेषित किया गया। बिंझिया जाति के ग्रामों में भ्रमण हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्ययन दल दिनांक 03.02.2014 से 08.02.2014 की अवधि में दौरा प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।
6	**सबरिया** (यह जाति मुख्य रूप से राज्य के जांजगीर–चांपा जिले के जांजगीर, नवागढ़, सक्ती, बम्हनीडीह, बलौदा, जैजैपुर एवं पामगढ़ विकासखण्ड में निवासरत है।)	छ.ग. की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर शामिल करने बाबत्।	संस्थान द्वारा उक्त जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन छ.ग.राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर शामिल करने विचारार्थ राज्य शासन को दिनांक 05.09.2011 को प्रस्तुत किया गया।	भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अतिरिक्त जानकारी एवं अभिलेख चाहे गये हैं। तत्संबंधी जानकारी शीघ्र भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है।

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
7	**रौतिया** (यह जाति मुख्य रूप से जशपुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, धमतरी जिलों में निवासरत है।)	छ.ग. की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने बाबत्।	संस्थान द्वारा उक्त जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन राज्य शासन को दिनांक 02.09.2011 को प्रेषित किया गया।	भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.12. 2012 के माध्यम से तत्संबंध में लोकुर कमेटी द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार अतिरिक्त जानकारी भेजे जाने लेख किया जिसे संस्थान द्वारा पुनः परीक्षण कर प्रतिवेदन दिनांक 02.08.2013 को भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रेषित किया गया। प्रकरण वर्तमान में भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।
8	**धनुहार, धनुवार** (यह जाति मुख्य रूप से राज्य के रायगढ़, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर एवं कोरबा जिले में निवासरत है।)	छ.ग. की अनुसूचित जनजाति की सूची अनुक्रमांक 14 पर धनवार के साथ शामिल करने बाबत्।	संस्थान द्वारा उक्त जाति को छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 14 पर धनवार के साथ शामिल किये जाने संबंधी अभिमत मय प्रस्ताव राज्य शासन को दिनांक 30.11.2011 को प्रेषित किया गया।	प्रकरण वर्तमान में भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
9	**माझी** (यह जाति मुख्य रूप से सरगुजा जिले के मैनपाट, सीतापुर, अंबिकापुर, उदयपुर, बतौली, जशपुर जिले के पत्थलगांव, कांसाबेल, रायगढ़ आदि क्षेत्रों में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 28 पर शामिल है किन्तु छ. ग. राज्य के केंवट, ढीमर, मल्लाह जो व्यावसायिक रूप से माझी हैं अनुसूचित जनजाति माझी होने का दावा करते हैं ततसंबंधी अध्ययन किया गया।	संस्थान द्वारा उक्त जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन 12.02.2013 को पूर्ण कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया है।	–
10	**धुरी, धूरी** (यह जाति बिलासपुर जिले के बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी, मुंगेली जिले के मुंगेली, पथरिया, रायपुर जिले के अभनपुर, आरंग धमतरी जिले के धमतरी, कुरूद, मगरलोड एवं महासमुंद जिले के महासमुंद, पिथौरा एवं बागबाहरा विकासखंड में निवासरत है।)	छ.ग. की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने बाबत्।	धुरी, धूरी जाति छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 09 पर शामिल है। ततसंबंध में धूरी जाति के सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर अध्ययन प्रतिवेदन दिनांक 03. 10.2013 को राज्य शासन को प्रेषित किया गया।	भारत सरकार स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है।

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
11	**परगनिहा, प्रधान** (यह जाति जांजगीर–चांपा, कोरबा, बिलासपुर एवं महासमुंद जिले में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 35 पर परधान, पथारी, सरोती के साथ शामिल करने बाबत्।	उक्त जाति के नृजातीय अध्ययन में जनजातीय लक्षण पाये जाने के पश्चात छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 35 पर परधान, पथारी, सरोती के साथ शामिल किये जाने हेतु अभिमत मय प्रस्ताव राज्य शासन को दिनांक 01.04. 2013 को प्रस्तुत किया।	व्रर्तमान में प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।
12	**किसान** (यह जाति मुख्य रूप से सरगुजा एवं जशपुर जिले में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 32 पर नगेसिया, नगासिया के साथ शामिल करने बाबत्।	संस्थान द्वारा उक्त जाति का नृजातीय अध्ययन कर किसान जाति को नगेसिया, नगासिया के साथ राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 32 पर शामिल करने अभिमत मय प्रस्ताव दिनांक	प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
			19.08.2013 को प्रेषित किया गया।	
13	**बंजारा, नायक** (यह जाति मुख्य रूप से जशपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोण्डागांव तथा सुकमा आदि जिले में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने बाबत्।	संस्थान द्वारा उक्त जाति का नृजातीय अध्ययन कर राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने संबंधी प्रसताव राज्य शासन को दिनांक 01.10. 2013 को प्रेषित किया गया।	प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।
14	**माहरा** (बस्तर संभाग की)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने बाबत्।	संस्थान द्वारा बस्तर संभाग में निवासरत माहरा जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन राज्य शासन को दिनांक 06.09. 2013 को प्रेषित किया गया।	–

1.2 अनुसूचित जाति संबंधी

अ. भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय स्तर पर राज्य शासन द्वारा प्रेषित विचाराधीन प्रस्ताव

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
1	**महरा, माहरा** (यह जाति मुख्य रूप से कांकेर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव आदि जिलों में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 33 पर महार, मेहरा, मेहर के साथ शामिल करने बाबत्।	नृजातीय अध्ययन उपरांत उक्त जाति में अनुसूचित जाति के लक्षण पाये जाने पर राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 33 पर शामिल किये जाने हेतु अभिमत मय प्रस्ताव राज्य शासन को दिनांक 03.03.2008 को प्रेषित किया गया।	प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन।

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
2	**चीक, चिक, चिक गांड़ा** (यह जाति मुख्य रूप से जशपुर के कांसाबेल, कुनकुरी, बगीचा, दुलदुला, फरसाबहार विकासखण्ड एवं सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 24 पर गांड़ा के साथ शामिल करने बाब्त।	संस्थान द्वारा उक्त जाति को नृजातीय अध्ययन उपरांत पाये गये लक्षणों के आधार पर राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 24 पर शामिल किये जाने हेतु अभिमत मय प्रस्ताव राज्य शासन को दिनांक 03.03.2008 को प्रेषित किया गया है।	प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में संस्थान द्वारा उक्त जाति का पुनः नृजातीय परीक्षण अध्ययन हेतु क्षेत्रकार्य पूर्ण किया गया। शीघ्र अभिमत मय प्रस्ताव पुनः भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है।
3	**बंग नमोशुद्र** (यह जाति मुख्य रूप से बस्तर, सरगुजा एवं रायपुर संभाग में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने बाबत्।	पृथक–पृथक प्रतिवेदन मय अभिमत राज्य शासन को दिनांक 08.12.2008 एवं 21.06.2013 को प्रेषित किया गया। उक्त जाति में अनुसूचित जाति के लक्षण नहीं पाये गये।	–

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
4	**औढ़ेलिया, अढ़ोलिया,अढ़ोरिया, अढ़ौलिया** (यह जाति मुख्य रूप से बिलासपुर जिले के बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी विकासखण्ड में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 1 पर औधेलिया के साथ शामिल करने बाबत्।	उक्त जाति में अनुसूचित जाति के लक्षण पाये जाने के उपरांत राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने हेतु प्रतिवेदन राज्य शासन को दिनांक 27.06.2011 को प्रेषित किया गया।	भारत सरकार द्वारा राज्य शासन के उक्त प्रस्ताव पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है जिसे शीघ्र पूर्ण कर भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रेषित किया जाना है।
5	**सारथी, सूत–सारथी, सहीस, सईस, थनवार** (यह जाति मुख्य रूप से कोरबा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर जिले में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 25 पर घासी, घसिया के साथ शामिल करने बाबत्।	नृजातीय अध्ययन में उक्त जातियों में अनुसूचित जाति के लक्षण पाये गये तथा यह जातियां अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 25 पर शामिल घसिया की उपजातियां हैं। तत्संबंधी अभिमत मय प्रस्ताव अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने हेतु राज्य शासन को दिनांक 01.04.2013 को प्रेषित किया गया।	वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

क्र.	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	राज्य स्तर पर कार्यवाही	भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही
6	**सोनकर** (यह जाति मुख्य रूप से कोरिया, सरगुजा, कोरबा अम्बिकापुर जिले में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 10 पर बेलदार, सुनकर के साथ शामिल करने बाबत्।	नृजातीय अध्ययन में उक्त जाति में अनुसूचित जाति के लक्षण पाये गये जाने उपरांत अभिमत मय प्रस्ताव अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने हेतु राज्य शासन को दिनांक 29.06.2013 को प्रेषित किया गया।	वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

1.3 संस्थान द्वारा वर्ष 2013–14 में नृजातीय अध्ययन की प्रगति

क्र	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	प्रगति	
1	**खेरवार** (यह जाति मुख्य रूप से सरगुजा संभाग के बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, अंबिकापुर, जशपुर जिले में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 21 पर Khairwar के साथ शामिल करने बाबत्।	क्षेत्र अध्ययन कार्य पूर्ण ।	प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रगति पर, फरवरी माह में प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया जाना है।

क्र	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	प्रगति	
2	**पण्डो** (यह जाति मुख्य रूप से सरगुजा संभाग के बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, अंबिकापुर, जशपुर जिले में निवासरत है।)	छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 5 पर अंकित पाण्डो को पण्डो करने बाबत् ।	क्षेत्र अध्ययन कार्य पूर्ण ।	प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रगति पर, फरवरी माह में प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।
3	**धोबा** (कवर्धा जिला)	अनुसूचित जनजाति हेतु	क्षेत्र कार्य पूर्ण प्रतिवेदन लेखन किया जाना है।	मार्च माहांत तक प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया जाना है।
4	**चीक, चिक** (रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर एवं सूरजपुर जिला)	अनुसूचित जाति हेतु	क्षेत्र कार्य पूर्ण प्रतिवेदन लेखन किया जाना है।	मार्च माहांत तक प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया जाना है।
5	**भरिया, भारिया** (बिलासपुर संभाग)	अनुसूचित जनजाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य।

क्र	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	प्रगति	
6	**अगरिया लोहार** (जशपुर एवं सरगुजा जिला)	अनुसूचित जनजाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य।
7	**ब्यार** (सरगुजा एवं कोरिया जिला)	अनुसूचित जनजाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य।
8	**धांगड़** (जशपुर, रायगढ़ एवं कोरबा जिला)	अनुसूचित जनजाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य।
9	**लांजा** (रायगढ़ जिला)	अनुसूचित जनजाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का
10	**कोड़ा** (महासमुंद)	अनुसूचित जनजाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का
11	**महली** (जशपुर जिला)	अनुसूचित जनजाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का

क्र	जाति का नाम	जाति/जनजाति संवर्ग	प्रगति	
12	**ढुलिया, ढोलिया** (बिलासपुर एवं मुंगेली जिला)	अनुसूचित जनजाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य।
13	**दुसाध पासवान** (कोरिया, अंबिकापुर जिला)	अनुसूचित जाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य।
14	**चण्डार, चंडार** (बस्तर संभाग)	अनुसूचित जाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य।
15	**डंगचगहा** (कवर्धा, बिलासपुर एवं मुंगेली जिला)	अनुसूचित जाति हेतु	अध्ययन कार्य आवंटित।	मार्च माहांत तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य।

2. संस्थान द्वारा संपादन उपरांत भारत सरकार को प्रेषित मूल्यांकन कार्य

अ. संस्थान द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित विकासीय योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन कर प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किये जाने राज्य शासन को प्रेषित किया गया जो निम्नांकित है –

क्र	वित्तीय वर्ष	विषय	प्रेषण दिनांक
1	2008–09	**''शासकीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की उपयोगिता''**	राज्य शासन द्वारा 18.02.2009 को उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
2	2011–12	**1. ''अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता''**	राज्य शासन द्वारा 07.07.2011 को उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
		2. ''अनुसूचित जनजातियों के लिये मानव विकास संकेतक''	राज्य शासन द्वारा 07.07.2011 को उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
3	2013–14	**1. ''गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTGs) परिवारों के लिये इंदिरा आवास योजना का मूल्यांकन''**	भारत सरकार को भेजे जाने हेतु मूल्यांकन प्रतिवेदन संस्थान द्वारा राज्य शासन को दिनांक 23.09.2013 को प्रस्तुत किया गया।

क्र	वित्तीय वर्ष	विषय	प्रेषण दिनांक
		2. ''आदिवासी क्षेत्रों में संचालित आई.सी.डी.एस. संचालन की स्थिति का मूल्यांकन''	राज्य शासन द्वारा 15.10.2013 को उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
		3. ''संविधान की धारा 275 (1) अंतर्गत निर्मित आदिवासी आश्रम शाला एवं प्रदत्त सुविधाओं का मूल्यांकन''	भारत सरकार को भेजे जाने हेतु मूल्यांकन प्रतिवेदन संस्थान द्वारा राज्य शासन को दिनांक 23.09.2013 को प्रस्तुत किया गया।

ब. संस्थान द्वारा वर्ष 2013–14 में मूल्यांकन अध्ययन की प्रगति

क्र.	विषय	प्रगति
1	**''आदिवासियों के लिये सिंचाई पम्प के लिये विद्युत कनेक्शन प्रदाय योजना का मूल्यांकन''**	उक्त योजना का मूल्यांकन संबंधी क्षेत्रकार्य पूर्ण, सारणीयन विश्लेषण का कार्य प्रारंभ मार्च माहांत तक प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है।

क्र.	विषय	प्रगति
2	**''आदिवासियों के कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण का मूल्यांकन''**	उक्त योजना का मूल्यांकन संबंधी क्षेत्रकार्य पूर्ण, सारणीयन विश्लेषण का कार्य प्रारंभ मार्च माहांत तक प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है।
3	**''वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संशोधन नियम 2012 के तहत राज्य में वितरित वन अधिकार मान्यता पत्र का सत्यापन''**	संस्थान द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के **24** जिलों (दुर्ग, रायपुर एवं बेमेतरा जिले को छोड़कर) के **109** विकासखण्डों में वितरित वन अधिकार मान्यता पत्र का सत्यापन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में **11789** हितग्राही परिवारों एवं **7582** दावेदार परिवार (ऐसे परिवार जो वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं) का कार्य किया जा चुका है, शेष परिवारों का मूल्यांकन संबंधी कार्य फरवरी में पूर्ण किया गया है। आगामी माह में प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

3. संस्थान द्वारा संपादित सर्वेक्षण कार्य

क्र.	वित्तीय वर्ष	विषय	विवरण
1	2005–06 एवं 2006–07	1. ''कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण.. सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में''	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शत्–प्रतिशत अनुदान राशि से छ.ग. राज्य के रायपुर, धमतरी, महासमुंद, कांकेर जिले के कुल **11** विकासखण्डों में निवासरत **''कमार''** विशेष पिछड़ी जनजाति के **5485** परिवारों का आधारभूत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया।
		2. ''बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण.. सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में''	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शत्–प्रतिशत अनुदान राशि से छ.ग. राज्य के कबीरधाम, बिलासपुर, कोरिया, राजनांदगांव जिले के कुल **10** विकासखण्डों में निवासरत **''बैगा''** विशेष पिछड़ी जनजाति के **15769** परिवारों का आधारभूत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया।
		3. ''पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण.. सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में''	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शत्–प्रतिशत अनुदान राशि से छ.ग. राज्य के कोरबा, जशपुर, सरगुजा जिले के कुल **20**

क्र.	वित्तीय वर्ष	विषय	विवरण
			विकासखण्डों में निवासरत **''पहाड़ी कोरवा''** विशेष पिछड़ी जनजाति के **8365** परिवारों का आधारभूत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया।
		4. ''बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण.. सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में''	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शत्–प्रतिशत अनुदान राशि से छ.ग. राज्य के बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, रायगढ़ जिले के कुल **14** विकासखण्डों में निवासरत **''बिरहोर''** विशेष पिछड़ी जनजाति के **689** परिवारों का आधारभूत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया।
2	2005–06	**''छत्तीसगढ़ के सफाई कामगार.. सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण''**	संस्थान द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत **8786** एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत **1210** कुल **9996** सफाई कार्य में संलग्न परिवारों का सामाजिक –आर्थिक एवं शैक्षणिक कार्य पूर्ण किया गया।
3	2012–13	**''विशेष पिछड़ी जनजाति ''कमार'', ''बिरहोर'', ''बैगा'' एवं ''पहाड़ी कोरवा'' के छूटे हुए परिवारों का आधारभूत सर्वेक्षण''**	पूर्व के वर्ष में विशेष पिछड़ी जनजातियों के सर्वेक्षण से छूटे हुए **1046** परिवारों का आधारभूत सर्वेक्षण कार्यकर आंकड़े एकजाई रूप से कार्यालय आयुक्त को विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु नवीन अभिकरण के गठन के उद्देश्य से उपलब्ध कराया गया।

4. संस्थान द्वारा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र	वर्ष	प्रशिक्षण का विषय	सत्र संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या
1	2004–05	जाति प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण	06	93
2	2005–06	जाति प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण	06	94
3	2006–07	जाति प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण	06	94
4	2007–08	1. जाति प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण 2. अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1989 एवं अत्याचार निवारण नियम, 1995 की जानकारी हेतु कार्यशाला 3. अनुसूचित जनजाति भू–स्वामित्व परिवर्तन विधि अधिनियम तथा विनियमन विषय पर जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	04 01 01	63 19 19

क्र	वर्ष	प्रशिक्षण का विषय	सत्र संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या
5	2011–12	1. राज्य में ट्रायबल एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य की 04 आई.टी.डी.पी. क्षेत्र में एच. आई. व्ही. एड्स नियंत्रण के तारतम्य में **''अनुसूचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा (एच.आई.व्ही. एड्स के प्रति जागरूकता के संदर्भ में)**''राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति नई दिल्ली के शत्–प्रतिशत अनुदान से प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के चयनित 04 आई.टी.डी.पी. क्षेत्र के 21 विकासखण्डों के जनप्रतिनिधियों, परंपरागत लोक चिकित्सकों, गैर शासकीय संस्थानों के कार्यकर्ताओं एवं आश्रम शालाओं में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। **2. जाति प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण।**	64 04	2365 310
6	2012–13	1. राज्य के नक्सली क्षेत्रों में तैनात सेनाधिकारियों को राज्य की **अनुसूचित जनजातियां–सामाजिक सांस्कृति परिचय एवं विकास** विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। 2. शाला स्तर पर विद्यार्थियों को जाति प्रमाण–पत्र एवं सत्यापन प्रमाण–पत्र प्राप्त हो तत्संबंध में जाति प्रमाण–पत्र संबंधी जिला धमतरी मुख्यालय में प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। 3. जिला स्तरीय सत्यापन समिति गठन के फलस्वरूप जिला स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु जाति प्रमाण–पत्र संबंधी प्रशिक्षण कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास में आयोजित किया गया।	01 01 01	56 137 63
7	2013–14	सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारीकर्ता, सत्यापनकर्ता, अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। (फरवरी 2014 तक)	07	163

5. संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी सह–कार्यशाला

क्र.	वित्तीय वर्ष	विषय	विवरण
1	2006–07	**''आदिवासियों में स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या कारण एवं निदान'' तथा '''छ.ग. राज्य की कला कौशल तथा उनके आर्थिक विकास में योगदान''**	संस्थान द्वारा उक्त विषय पर भारत सरकार के अनुदान से राष्ट्रीय संगोष्ठी सह–कार्यशाला का आयोजन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में दिनांक 08.02.2007 से 10.02.2007 तक आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के 60 विषय विशेषज्ञों की सहभागिता रही।
2	2007–08	**''छ.ग. की आदिम जनजाति समूह (PTG) की स्थिति एवं इनके सर्वांगीण विकास हेतु रणनीतियां''**	संस्थान द्वारा उक्त विषय पर भारत सरकार के अनुदान से राष्ट्रीय संगोष्ठी सह–कार्यशाला का आयोजन ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा–रायपुर में दिनांक 03.02.2008 से 05.02.2008 तक आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के 120 विषय विशेषज्ञों एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रही।

क्र.	वित्तीय वर्ष	विषय	विवरण
3	2008–09	**''छ.ग. की आदिवासी महिलाओं की सामाजिक –आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति तथा छ.ग. के आदिवासी बालिकाओं में शैक्षणिक –सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति एवं विकास हेतु रणनीति''**	संस्थान द्वारा उक्त विषय पर भारत सरकार के अनुदान से राष्ट्रीय संगोष्ठी सह–कार्यशाला का आयोजन ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा–रायपुर में दिनांक 09.02.2009 से 11.02.2009 तक आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार, विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के 115 विषय विशेषज्ञों एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रही।
4	2011–12	**''छ.ग. के आदिवासी बालक–बालिकाओं में शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति तथा विकास हेतु रणनीति''**	संस्थान द्वारा उक्त विषय पर भारत सरकार के अनुदान से राष्ट्रीय संगोष्ठी सह–कार्यशाला का आयोजन ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा–रायपुर में दिनांक 15.03.2012 से 17.03.2012 तक आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं भारत सरकार के 106 विषय विशेषज्ञों की सहभागिता रही।

6. संस्थान द्वारा आयोजित आदिवासी महोत्सव

क्र.	वित्तीय वर्ष	विषय	विवरण
1	2009–10	''आदि परब'' **(छत्तीसगढ़ का जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव)**	भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के शत्–प्रतिशत अनुदान से संस्थान द्वारा रायपुर में दिनांक 19.02.2010 से 21. 02.2010 को जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों की **व्याख्यान माला**, जनजातीय जीवन पर आधारित **छायाचित्र प्रदर्शनी**, जनजातीय जीवन पर आधारित **डाक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शन** एवं **उरांव, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, गोंड़, बैगा, कमार, दण्डामी माड़िया, मुरिया एवं अबूझमाड़िया** जनजातीयों के नृत्य तथा गीत आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

7. संस्थान द्वारा आयोजित एक्सचेंज आफ विजिट कार्यक्रम

क्र.	वित्तीय वर्ष	विषय	विवरण
1	2005–06	1. एक्सजेंच आफ विजिट के तहत **गुजरात** राज्य का भ्रमण 2. एक्सजेंच आफ विजिट के तहत **महाराष्ट्र** राज्य का भ्रमण 3. एक्सजेंच आफ विजिट के तहत **मध्यप्रदेश** राज्य का भ्रमण	छ.ग. राज्य के आदिवासी जनप्रतिनिधियों का 5–5 महिला–पुरूषों दल गठित कर संबंधित राज्यों में आदिवासियों के सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक विकास हेतु संचालित विभिन्न विकासमूलक योजनाओं के अवलोकन एवं स्थानीय आदिवासियों के इच्छाशक्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से 8–10 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
2	2007–08	1. एक्सजेंच आफ विजिट के तहत **पश्चिम बंगाल** राज्य का भ्रमण 2. एक्सजेंच आफ विजिट के तहत **झारखण्ड** राज्य का भ्रमण 3. एक्सजेंच आफ विजिट के तहत **गुजरात** राज्य का भ्रमण	
3	2011–12	1. एक्सजेंच आफ विजिट के तहत **राजस्थान** राज्य का भ्रमण 2. एक्सजेंच आफ विजिट के तहत **उड़ीसा** राज्य का भ्रमण 3. एक्सजेंच आफ विजिट के तहत **आंधप्रदेश** राज्य का भ्रमण	

8. प्रकाशन

क्र.	वर्ष	विषय	वर्तमान स्थिति
1	2004–05	1. छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियां 2. छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण–पत्र एवं आरक्षण की पात्रता	प्रकाशित
2	2007–08	1. छत्तीसगढ़ का जनजातीय परिदृश्य	
3	2008–09	1. छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियां 2. छत्तीसगढ़ के सफाई कामगार	
4	2013–14	1. छत्तीसगढ़ राज्य की आदिवासी पद्धति	आंशिक संशोधन पश्चात प्रकाशन हेतु दिया जाना है
		2. छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियां, जनजातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां तथा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी नियम–निर्देश	प्रकाशित
		3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण निर्देशिका	प्रकाशित

9. संग्रहालय

संस्थान द्वारा संग्रहालय सह कार्यालय भवन हेतु भूमि के लिये अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण नया रायपुर में कुल 5.963 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें संस्थान द्वारा उक्त के तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग द्वारा सूचित किया गया कि विभाग द्वारा **''पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय परिसर''** में केवल आदिवासी संग्रहालय निर्माण करने हेतु निर्धारित स्थान संग्रहित किया जा सकता है, भूमि का स्थायी आवंटन नहीं दिया जा सकता, भूमि संस्कृति विभाग के अधीन रहेगी। तत्संबंध में छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संस्कृति विभाग के ''पुरखौती मुक्तांगन'' प्रभारी से संपर्क एवं चर्चा कर आगामी कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया है। तद्नुसार संबंधित प्रभारी अधिकारी से चर्चा की जा रही है।

संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को 03 चरणों में आदिवासी संग्रहालय एवं भवन निर्माण हेतु रूपये 3559.64 लाख का प्रस्ताव (वर्ष 2012–13 हेतु रूपये 977.89 लाख, वर्ष 2013–14 हेतु रूपये 1709.82 लाख एवं 2014–15 हेतु रूपये 871.93 लाख) प्रेषित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उक्त तारतम्य में प्रथम चरण के लिये रूपये 300.00 लाख **(रूपये 150.00 लाख केन्द्रांश राशि एवं रूपये 150.00 लाख राज्यांश राशि)** की स्वीकृति दी गई है।

10. संस्थान में जाति प्रमाण–पत्रों का सत्यापन एवं जांच

अ जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन

क्र.	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
1	2007–08	–	–	–	**4306**
1	2008–09	**11499**	**9774**	**16736**	**38009**
2	2009–10	**44133**	**22828**	**44704**	**111665**
3	2010–11	**42349**	**21200**	**90978**	**154527**
4	2011–12	**28946**	**20555**	**57420**	**106921**
5	2012–13 (30.10.2012 तक)*	**33287**	**14974**	**56115**	**104376**
6	01.11.2012 से 31.12.2013 तक जिला स्तरीय सत्यापन समिति में सत्यापित प्रमाण–पत्र	**53872**	**17654**	**67592**	**139118**
		214086	**106985**	**333545**	**654616**

* 01.11.2012 से राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के समस्त जिलों में जिला स्तरीय सत्यापन समिति गठित की गई है। अतः उक्त दिनांक से आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (T.R.I.) द्वारा जाति प्रमाण–पत्रों के सत्यापन का कार्य नहीं किया जा रहा है।

ब जाति प्रमाण–पत्रों के शिकायतों की जांच

संस्थान में राज्य शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **कु. माधुरी पाटील बनाम एडीशनल कमिश्नर ट्रायबल डेव्हलपमेंट ए.आई.आर. 1995 एस. सी. 94 एवं डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर आंध्रप्रदेश बनाम लावेतीगिरी ए.आई.आर. 1995 एस. सी. 1506** में समस्त राज्य सरकारों को जाति प्रमाण–पत्रों की जांच हेतु ''जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति'' एवं विजिलेंस सेल गठित किये जाने के निर्देश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अध्यक्षता में **जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति एवं विजिलेंस सेल** का गठन किया गया है। समिति द्वारा शासकीय नौकरियों एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सीट पर नियुक्ति/प्रवेश संबंधी शिकायती प्रकरणों की जांच कर निम्नांकित वर्षों में आदेश पारित किये गये –

क्र.	वित्तीय वर्ष	आदेश पारित प्रकरणों की संख्या	टीप
1	2008–09	34 प्रकरण	–
2	2009–10	18 प्रकरण	
3	2010–11	25 प्रकरण	
4	2011–12	21 प्रकरण	
5	2012–13	09 प्रकरण	उक्त में से 05 प्रकरण गलत पाये गये।
6	2013–14 (जनवरी 2014 तक)	41 प्रकरण	उक्त में से 12 प्रकरण गलत पाये गये।

11. आदिमजाति अनुसंधान संस्थान में स्वीकृत एवं भरे गये पदों की जानकारी

संचालक आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधीन स्वीकृत पदों के विरूद्ध भरे रिक्त पदों की जानकारी –

क्र	कार्यालय का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे	रिक्त	रिमार्क
1	टी.आर.आई.	संचालक	1	1	–	–
2		संयुक्त संचालक	1	1	–	
3		उप संचालक (अनुसंधान अधिकारी)	4	3	1	–
4		सहायक संचालक (सहायक अनुसंधान अधिकारी)	7	5	2	
5		सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	3	–	
6	टी.आर.आई.	अनुसंधान सहायक	6	6	–	–
7		सहायक प्रोग्रामर	1	1	–	–
8		संग्रहालय सहायक	1	0	1	–

क्र	कार्यालय का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे	रिक्त	रिमार्क
9		पुस्तकालय अध्यक्ष	1	1	—	
10		कार्यालय अधीक्षक	1	1	—	—
11		कनिष्ठ लेखा अधिकारी / अंकेक्षक	1	—	1	—
12		स्टेनोग्राफर जूनियर ग्रेड	1	1	—	—
13		सहायक ग्रेड–01	1	1	—	—
14		सहायक ग्रेड–02	3	3	—	—
15		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	1	—	—
16		लेखापाल	1	1	—	—
17		संगणक	1	—	1	—
18		सहायक ग्रेड–03	6	5	1	—
19	टी.आर.आई.	स्टेनो टायपिस्ट	4	2	2	—
20		वाहन चालक	3	3	—	—
21		दफ्तरी	1	1	—	—
22		जमादार	1	1	—	
23		भृत्य	10	9	1	—
24	टी.आर.आई.	चौकीदार	1	1	—	—
25		फर्राश	1	1	—	—
26		भृत्या कलेक्टर दर पर (कन्टेन्डेंसी)	1	1	—	—
योग			**63**	**54**	**09**	**—**

क्र	कार्यालय का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे	रिक्त	रिमार्क
1	**विजिलेंस सेल**	डी.एस.पी. सीनियर ग्रेड	1	1	—	—
2		पुलिस निरीक्षक	8	3	5	—
3		अनुसंधान सहायक	8	8	—	—
4		विधि अधिकारी	1	—	1	—
5		विधि सहायक	1	1	—	—
योग			**19**	**13**	**6**	
1	**क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर**	अनुसंधान अधिकारी	1	1	—	—
2		सहायक अनुसंधान अधिकारी	1	1	—	प्राचार्या पदस्थ
3	**क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर**	अनुसंधान सहायक	3	3	—	—
4		पुलिस निरीक्षक	1	—	1	—
5		विधि सहायक	1	1	—	—
6		लेखापाल / सहायक ग्रेड–2	1	—	1	—
7		डाट एंट्री आपॅरेटर	1	1	—	—
8		भृत्य	1	1	—	—
9		चौकीदार	1	1	—	—
योग			**11**	**9**	**2**	—

क्र	कार्यालय का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे	रिक्त	रिमार्क
1	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	अनुसंधान अधिकारी	1	1	—	—
2		सहायक अनुसंधान अधिकारी	1	—	1	—
3		अनुसंधान सहायक	3	3	—	—
4		पुलिस निरीक्षक	1	—	1	—
5		विधि सहायक	1	1	—	—
6		लेखापाल / सहायक ग्रेड–02	1	—	1	—
7		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	1	—	—
8		भृत्य	1	1	—	—
9		चौकीदार	1	1	—	—
योग			**11**	**8**	**3**	
1	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	अनुसंधान अधिकारी	1	1	—	—
2		सहायक अनुसंधान अधिकारी	1	—	1	—
3		अनुसंधान सहायक	3	3	—	—
4		विधि सहायक	1	1	—	—
5		पुलिस निरीक्षक	1	—	1	—
6		लेखापाल / सहायक ग्रेड–2	1	—	1	—
7		डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	1	1	—	—

क्र.	कार्यालय का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे	रिक्त	रिमार्क
8	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	भृत्य	1	1	—	
9		चौकीदार	1	1	—	
योग			11	8	3	